"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 667] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2025 — श्रावण 29, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2025

अधिसूचना

File No. GENCOR/2451/2025-GAD-5.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उपरोक्त नियम में,

(1) नियम 3 के भाग (ख) के सरल कमांक–01 संसदीय सचिव के पूर्व निम्नानुसार और जोड़ा जाए, ''छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष''

2. उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.